राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या 10/2020

दायर दिनांक 07.02.2020

1. सलमा पत्नी श्री महबूब अली जाति मुसलमान आयु 53 वर्ष, निवासी ग्राम रूपनगढ हाल निवासी मदनगंज किशनगढ, जिला अजमेर राजस्थान

.........वादीया

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार साहब, रूपनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान

.......प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम बाबत राजस्व रेकार्ड दुरूस्ती हेतु

निर्णय

दिनांक 28.09.2021

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रूपनगढ़ पटवार हल्का रूपनगढ़ भू0अ0नि0 क्षेत्र रूपनगढ़ तहसील रूपनगढ़ में स्थित भूमि के खाता संख्या नया 1972 खसरा नम्बर 2751/658 रकबा 0.3236 हैक्टेयर किस्म चाही ए स्थित है। जिसमें राजस्व रिकार्ड अनुसार वादिया का सम्पूर्ण हिस्सा खातेदारी में अर्न्तनिहित है, उक्त कृषि भूमि में वादिया की राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में वादिया के द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सुरसुरा से किसान क्रेडिट कार्ड एवं पोल्ट्री फार्म हेतु ऋण लिया था जिसके संबंध में बैंक द्वारा वादिया को रोडा एक्ट 1974 की धारा 6(1) का दस्तावेज रहन दर्ज करने के लिये उपपंजीयक कार्यालय रूपनगढ़ से धारा 6(1) का दस्तावेज रजिस्टर्ड करवाने के पश्चात उक्त भूमि को रहन [illegible] करने के लिए पटवारी हल्का रूपनगढ को दस्तावेज प्रस्तुत किया जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सुरसुरा दर्ज हो रखी थी लेकिन जब रहन का नामान्तरकण संख्या 4964

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.10.20 18:06:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

दिनांक 22.01.2015 को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया गया तब पटवार हल्का ने सहवन से बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सुरसुरा के स्थान पर बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रूपनगढ़ दर्ज कर दिया। जिसकी जानकारी मुझ वादिया को दिनांक 15.01.2020 को जमाबन्दी की नकल निकलवाने पर हुई। जिसके कारण माननीय न्यायालय में उक्त राजस्व वाद प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई। वाद वर्णित कृषि जमीन के ख0न0 में वादिया का रहन का नामान्तरकरण बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रूपनगढ़ के नाम दर्ज हो रखा है। जो राजस्व विभाग की सहवनीय भूल है जिसकी राजस्व रिकार्ड में शुद्धि करवाना अतिआवश्यक और कानूनी रूप से विधि मान्य है क्योंकि बतौर साक्ष्य के रूप में दस्तावेज बैंक का पत्र, रोड़ा एक्ट की धारा 6(1) का दस्तावेज फोटोकापी मूल, राजस्व रिकार्ड की जमाबंदी संवत 2073 से 2076 तक, राजस्व नक्शा, गिरदावरी बतौर साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किये जा रहे है। वादिया ने जब पटवारी हल्का रूपनगढ़ से दिनांक 15.01.2020 को नकल प्राप्त की, तब वाद कारण उत्पन्न हुआ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादी का सम्मन तामिलशुदा प्राप्त हुआ। प्रतिवादी (तहसीलदार रूपनगढ़) की ओर से भी प्रकरण में जवाब पेश किया गया। प्राप्त जवाब अनुसार ग्राम रूपनगढ़ की सेग्रीगेशन जमाबंदी 2075 (वर्ष 2019) से स्थाई खाता संख्या 1972 में ख0न0 2751/658 रकबा 0.3236 है0 भूमि सलमा पत्नी महबूब अली (वादिया) हिस्सा पूर्ण जाति मुसलमान सा0देह खातेदार राहिन (पूर्ण खाता) बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रूपनगढ़ के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त ख0न0 2751/658 की भूमि जरिये नामान्तरकरण संख्या 4964 स्वीकृत दिनांक 22.01.2015 से बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रूपनगढ़ के रहन दर्ज हुई है। नामान्तरकरण संख्या 4964 के संलग्न रहननामानुसार नामान्तरकरण संख्या 4964 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सुरसुरा द्वारा जारी रहननामा धारा 6(1) जो दिनांक 21.01.2015 को उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ के यहाँ रजिस्टर्ड हुआ है, के आधार पर भरा गया है, मगर सहवन से रहन दर्ज के नामान्तरकरण संख्या 4964 में बैंक का नाम बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सुरसुरा के स्थान पर बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रूपनगढ़ लिख दिया था एवं नामान्तरकरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.10.20 18:06:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

संख्या 4964 दिनांक 22.01.2015 को स्वीकृत होने पर राजस्व रिकार्ड में वाद अधीन भूमि बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रूपनगढ के नाम दर्ज हो गई जो कि लिपिकीय भूल है। वादिया का वाद स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड में राहिन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रूपनगढ के स्थान पर राहिन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सुरसुरा दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का कोई राजहित प्रभावित नहीं होता है। इसलिए रिकार्ड दुरूस्ती का आदेश पारित किये जाने में प्रतिवादी तहसीलदार को कोई आपति नहीं है।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। पत्रावली के अध्ययन, अवलोकन के पश्चात वादिया का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादिया का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम रूपनगढ़ के नामान्तरकरण संख्या 4964 स्वीकृत दिनांक 22.01.2015 में दर्ज राहिन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रूपनगढ़ के स्थान पर राहिन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सुरसुरा दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया व शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.10.20 18:06:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

अंतिम डिक्री

(आर्डर 20, रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

(Civil procedure code Appendix D-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रूपनगढ (अजमेर)

व इजलास–श्री भंवरलाल जनागल आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं0 10 / 2020

1. सलमा पत्नी श्री महबूब अली जाति मुसलमान आयु 53 वर्ष, निवासी ग्राम रूपनगढ़ हाल निवासी मदनगंज किशनगढ़, जिला अजमेर राजस्थान

.........वादीया

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार साहब, रूपनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान

.......प्रतिवादी

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा. का. अधि. एवं धारा 136 राज. भू–राजस्व अधिनियम

यह मुकदमा आज जरिये इजलास कतई रू–ब–रू श्री भंवरलाल जनागल आर.ए.एस व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दई व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम रूपनगढ के नामान्तरकरण संख्या 4964 स्वीकृत दिनांक 22.01.2015 में दर्ज राहिन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रूपनगढ़ के स्थान पर राहिन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सुरसुरा दर्ज करने के आदेश दिये जाते है।

असप्त मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से आज दिनां[illegible] 2021 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.10.20 18:06:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)